

रिजर्व बैंक ने, निवेशक आधार में विविधता लाने का प्रयास करते हुए, सरकारी प्रतिभूति बाजार को चलनिधि प्रदान करने की अपनी कोशिश जारी रखी। कॉर्पोरेट बांड बाजार के विकास के लिए भी उपाय किये गये जिससे व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहन मिले तथा रिपो बाजार में चलनिधि बढ़ सके। विदेशी मुद्रा बाजार के उतार-चढ़ाव ने रिजर्व बैंक को अस्थिरता को रोकने और स्थिर विदेशी अंतर्वाहों को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय करने के लिए प्रेरित किया।

V.1 तेजी से उभरती वैश्विक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए, रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार का विकास सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। भलीभाँति विकसित वित्तीय बाजार न केवल मौद्रिक नीति के संप्रेषण में अहम भूमिका निभाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनसे बाजार की शक्तियों द्वारा कीमत-निर्धारण भी सुकर हो जाता है। प्रणालीगत जोखिमों का नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए बाजार की कार्य प्रणाली को अबाध गति से जारी रखने के लिए, रिजर्व बैंक ने वृद्धि और विकास को पोषित करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभानी जारी रखी।

## सरकारी प्रतिभूति बाजार

V.2 वित्तीय बाजार, विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार और कॉर्पोरेट बांड बाजार के कार्यकलापों को बढ़ाने और नियमित करने के उपाय किये गये। सरकारी प्रतिभूति बाजार और संबंधित ब्याज दर डेरिवेटिव क्षेत्र में चलनिधि को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से एक तालमेलपूर्ण प्रयास किया गया है। इसी प्रकार, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं और वित्तीय बाजार के समग्र विकास के लिए भी, भारत सरकार और नियामकों की कार्यसूची में कॉर्पोरेट बांड बाजार का विकास उच्च स्थान पर है। भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार के विकास में सहायता के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। वित्तीय बाजार को विकसित करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, शामिल हैं (i) सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि बढ़ाने पर बने कार्य समूह की कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन, (ii) प्राथमिक व्यापारियों के लिए टीयर III पूंजी को समाप्त करना, (iii) वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और रिपो दिशानिर्देशों की समीक्षा, (iv) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति देना, (v) स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश मानदंडों को शिथिल

करना, (vi) कॉर्पोरेट बांडों में लेन-देन करने के लिए सेबी - अनुमोदित शेयर बाजारों की सदस्यता हेतु स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति, (vii) ऋण चूक स्वैप दिशानिर्देशों की समीक्षा, और (viii) आईआरएस संविदाओं का मानकीकरण।

## सरकारी प्रतिभूतियों और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में चलनिधि बढ़ाने के लिए कार्य समूह की रिपोर्ट

V.3 2011-12 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार बाजार विशेषज्ञों, रिजर्व बैंक के अधिकारियों और अन्य हितधारियों को मिलाकर एक कार्य समूह बनाया गया (अध्यक्ष : श्री आर.गांधी)। इसकी प्रमुख सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित को कार्यान्वित किया गया है:

- नीलामी बोली के समय को 120 मिनट (पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 12:30 तक) से घटाकर 90 मिनट (पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 12:00 तक) करना;
- समान मूल्य और बहु मूल्य फार्मेट - दोनों के मिश्रण के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करना;
- खजाना बिलों की प्राथमिक नीलामी के निपटान चक्र का T+2 से T+1 आधार में परिवर्तन करना;
- कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋण का पुनर्निर्गम करना;
- सरकारी प्रतिभूतियों (तत्काल और रिपो) में ओटीसी लेनदेन की द्वितीयक बाजार रिपोर्टिंग का पीडीओ-एनडीएस से क्रमशः एनडीएस-ओएम और क्रोम्स (क्लियरकार्प रिपो आर्डर मैचिंग प्रणाली) में अंतरण;
- आईआरएस (ब्याज दर स्वैप) बाजार में ओआईएस (एक दिवसीय सूचकांक स्वैप) मिबोर (मुंबई अंतर- बैंक प्रस्ताव दर) बेंचमार्क का मानकीकरण करना;

- 2013-14 के बजट में 500 बिलियन रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद/स्विचिंग की घोषणा करना; (बॉक्स V.1)
- सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई की निवेश सीमा में 30 बिलियन अमरीकी डालर तक क्रमिक उर्ध्वगामी संशोधन करना;
- मुद्रास्फीति सूचकांकित बांडों की शुरुआत करना;
- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) पोर्टफोलियो में प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम 50 आधार अंक तक क्रमिक रूप से कमी करना, इसकी शुरुआत जून 2013 को समाप्त तिमाही से की जाए, जब तक कि यह मांग और मीयादी देयताओं के 23 प्रतिशत के स्तर तक न पहुँच जाए।

### मुद्रा बाजार

#### वाणिज्यिक-पत्र के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश

V.4 वाणिज्यिक-पत्र के वर्तमान दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। इसमें शामिल किए गए प्रमुख परिवर्तन नीचे दिए गए हैं।

- विदेशी संस्थागत निवेशकों को निदेश दिया गया है कि वे भारतीय बाजार में निवेश के लिए लागू विभिन्न प्रावधानों का

अनुपालन करें।

- वाणिज्यिक पत्रों में क्रय / विक्रय विकल्पों की अनुमति नहीं है।
- पात्र सहभागी, वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम के लिए किसी एक सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करें।
- न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग ए3 (निवेश ग्रेड) होगी।
- वाणिज्यिक पत्र में ओटीसी लेनदेनों का निपटान एनएससीसीएल (राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड)/आईसीसीएल (भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड)/ एमसीएक्स-एसएक्स - सीसीएल (एमसीएक्स-एसएक्स समाशोधन निगम लिमिटेड) के माध्यम से किया जाएगा।
- वाणिज्यिक पत्र में ओटीसी लेनदेनों के लिए निपटान चक्र या तो T+0 अथवा T+1 आधार पर होगा।
- जारीकर्ताओं द्वारा वाणिज्यिक पत्रों की वापसी-खरीद द्वितीयक बाजार के माध्यम से की जाएगी और चालू बाजार मूल्य पर होगी।
- जारीकर्ता और अदाकर्ता एजेंट (आईपीए) वाणिज्यिक पत्रों की वापसी-खरीद के मामले रिजर्व बैंक को सूचित करेंगे।

### बॉक्स V.1:

#### देयता प्रबंधन के लिए वापसी-खरीद / स्विच

कई देशों में ऋण प्रबंधकों द्वारा प्रभावी देयता प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद / स्विच का प्रयोग किया जाता है। देयता प्रबंधन के अलावा, वापसी-खरीद / स्विच परिचालन, ऋण प्रबंधन रणनीति को लचीलापन प्रदान करते हैं, इसको सरकारी प्रतिभूतियों के सक्रिय और निष्क्रिय समेकन के लिए समर्थ बनाते हैं, और बिना ऊपरी सीमा की बाध्यता के वार्षिक परिपक्वता बकेट से सरकारी प्रतिभूतियां जारी करते हैं। सक्रिय समेकन तब होता है जब बकाया छोटी राशि वाली गैर-तरल प्रतिभूतियों की एक या अधिक तरल प्रतिभूतियों में अदला-बदली की जाती है, जबकि निष्क्रिय समेकन प्रतिभूतियों का पुनर्निर्गमन करके होता है। स्विच, अपेक्षाकृत कम ऊपरी सीमा की बाध्यता के साथ जारी की जाने वाली ऑन दी रन प्रतिभूतियों को समर्थ बनाकर, निष्क्रिय समेकन में मदद करता है क्योंकि ऐसी प्रतिभूतियों का शोधन उनकी बकाया राशि के एक भाग की प्रतिभूतियों को विभिन्न परिपक्वता वाली दूसरी प्रतिभूतियों के साथ अदला-बदली करके किया जा सकता है।

नकदी-विहीन वापसी-खरीद का एक दूसरा तरीका है-एसे लेनदेनों को अंतर्वर्ष (अथवा अंतर-वर्ष में भी) में करना, अर्थात् ऐसी बकाया सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद करना जो उसी वर्ष शोधन के लिए देय हैं। यदि वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद को समान राशि के अतिरिक्त बाजार

उधार द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है तो ऐसे लेनदेनों में निवल नकदी का बहिर्गमन होगा। निवल नकदी के बहिर्गमन में वापसी-खरीद तभी संभव होगी जब या तो सरकार के पास राजकोषीय आधिक्य हों अथवा ऐसे लेनदेन के लिए नकदी शेष बनाए गए हों। दूसरी तरफ, सरकारी प्रतिभूतियों का स्विच अपने स्वरूप में हमेशा नकदी-विहीन होता है क्योंकि विशिष्ट परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूति को समकालीन दूसरी परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति में स्वैप किया जाता है।

रिजर्व बैंक अप्रैल 1999 से मौजूदा प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम/पुनः खोलने के माध्यम से निष्क्रिय समेकन की एक नीति का अनुगमन कर रहा है जिससे आय वक्र में प्रतिभूतियों को बेंचमार्क किया जा सके और प्रतिभूतियों की प्रतिमोच्यता तथा चलनिधि में सुधार किया जा सके। 2003 में, एक ऋण वापसी-खरीद योजना उन बैंकों के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई जिन्हें चलनिधि की आवश्यकता थी।

2013-14 के संघीय बजट में 500 बिलियन रुपये तक की एक राशि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद/स्विच की घोषणा की गई है। प्रस्तावित वापसी-खरीद / स्विच का उद्देश्य मुख्य रूप से 2014-15 से 2018-19 तक के परिपक्वता बकेट से शोधन के दबाव को कम करना है।

### रिपो दिशा निर्देशों की समीक्षा

V.5 कॉर्पोरेट बांड बाजार में रिपो को और विकसित करने के उद्देश्य से, अब एक वर्ष से कम के मूल परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर कॉर्पोरेट बांड में रिपो की अनुमति दी गई है। एएए/एए+/एए दर वाले कॉर्पोरेट बांडों के लिए, कॉर्पोरेट ऋण रिपो में न्यूनतम मार्जिन अपेक्षा को भी मौजूदा 10%/12%/15% से घटाकर 7.5%/8.5%/10% कर दिया गया है।

### कॉर्पोरेट बांड बाजार

*कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति देना*

V.6 व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहन देने और कॉर्पोरेट बांड बाजार में रिपो में चलनिधि को बढ़ाने की दृष्टि से, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अक्टूबर 2012 से रिपो बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई है बशर्ते वे भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हों।

*कॉर्पोरेट बांडों में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश मानदंडों में शिथिलता*

V.7 कॉर्पोरेट बांड बाजार में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका को बढ़ाने की दृष्टि से, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: (i) प्राथमिक व्यापारियों को, मांग/सूचना मुद्रा बाजार उधारों के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च की समाप्ति पर निवल स्वाधिकृत निधियों के 225 प्रतिशत की समग्र अनुमत औसत पाक्षिक सीमा के अंतर्गत, कॉर्पोरेट बांडों में निवेश के लिए निवल स्वाधिकृत निधि के 50 प्रतिशत की एक उप सीमा की अनुमति दी जाए; (ii) प्राथमिक व्यापारियों को, निवेश करने वाले प्राथमिक व्यापारी की कुल पूंजी निधियों के 10 प्रतिशत की सीमा तक, अन्य प्राथमिक व्यापारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी टीयर II बांडों में निवेश की अनुमति दी जाए; (iii) प्राथमिक व्यापारियों को, अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियों के माध्यम से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च की समाप्ति पर निवल स्वाधिकृत निधि के 150 प्रतिशत की सीमा तक उधार की अनुमति दी जाए।

*कॉर्पोरेट बांडों में लेन-देन के लिए सेबी अनुमोदित शेयर बाजार में सदस्यताथ स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति।*

V.8 भारत में ऋण बाजार को और विकसित करने की दृष्टि से, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों

को, कॉर्पोरेट बांडों में स्वामित्व लेन-देन करने के प्रयोजन से, सेबी अनुमोदित शेयर बाजार का सीमित सदस्य होने की अनुमति दी गई है।

### विदेशी मुद्रा बाजार

V.9 विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने इस अस्थिरता को रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उदारीकरण प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखने के साथ-साथ, कार्यप्रणाली को तर्कसंगत तथा सरल बनाने और विदेशी अंतर्वाहों को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत उपाय किए गए।

### विदेशी निवेश

*विदेशी प्रत्यक्ष निवेश*

V.10 विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक ढांचे को और उदार बनाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए।

V.11 उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को (i) जिनका 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश है, और (ii) जिनका 50 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम पूंजीकरण है, कार्यशील अनुषंगी संस्थाओं की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के और बिना अतिरिक्त पूंजी लाए, विशिष्ट एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए उप अनुषंगी संस्थाएं बनाने की अनुमति दी गई। एक बार जब न्यूनतम पूंजीकरण की अपेक्षा पूरी हो जाए तो यह विनियमन, बिना अतिरिक्त निधियां लाए, उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी उप अनुषंगी संस्थाएं बनाने के लिए सक्षम बनाएगा जिनका विदेशी निवेश 100 प्रतिशत से कम लेकिन 75 प्रतिशत से अधिक है।

V.12 एफडीआई नीति को और उदार बनाने के लिए, सरकारी मार्ग के अंतर्गत सिंगल-बांड रिटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई, मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत एफडीआई और पावर एक्सचेंजों में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, विदेशी हवाई कंपनियों को सरकारी मार्ग के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में निवेश करने तथा अपनी चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं परिचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

V.13 उन मामलों में, जहां अनिवासी (अनिवासी भारतीयों सहित) मेमोरेडम ऑफ एशोसिएशन के लिए आवेदन के द्वारा कॉर्पोरेट अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन में, किसी

भारतीय कॉर्पोरेट में निवेश करते हैं, तो यह निवेश अंकित मूल्य पर किया जाए बशर्ते कि एफडीआई योजना के अंतर्गत उनकी निवेश करने की पात्रता हो। मूल्यन मानदंडों को शिथिल करने से कानून की अपेक्षानुसार एक कॉर्पोरेट स्थापित करने में आसानी होगी।

V.14 किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पाकिस्तान का नागरिक है, अथवा पाकिस्तान में गैर-निगमित किसी कॉर्पोरेट को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कॉर्पोरेट के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते ऐसे एफडीआई को प्राप्त करने वाली भारतीय कॉर्पोरेट रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र/क्रियाकलाप तथा विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र/क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है अथवा संलग्न नहीं होगी।

#### *विदेशी फोर्टफोलियो निवेश*

V.15 सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट ऋण में एफआईआई और लंबी अवधि वाले निवेशकों के निवेश की मौजूदा ऋण सीमा दो वर्गों में विलयित कर दिया गया है, अर्थात् (i) सरकारी ऋण सीमा (25 बिलियन अमरीकी डालर की सरकारी प्रतिभूतियां) और (ii) कॉर्पोरेट ऋण सीमा (51 बिलियन अमरीकी डालर की कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां)। न्यूनतम अवरुद्ध अवधि और अवशिष्ट परिपक्वता संबंधी अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश की सीमा को 5 बिलियन बढ़ाकर 30 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश के लिए 5 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ी हुई सीमा केवल बीमा / धर्मादा निधि, विदेशी केंद्रीय बैंकों के लिए उपलब्ध होगी।

V.16 विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति दी गई है कि वे नकदी खंड में संपार्श्विक के रूप में कॉर्पोरेट बांडों में अपने निवेश का उपयोग करें तथा फ्यूचर्स और ऑप्शंस खंड में संपार्श्विक के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों तथा कॉर्पोरेट बांडों का उपयोग करें। इस प्रकार, विदेशी संस्थागत निवेशक, नकदी और फ्यूचर्स तथा ऑप्शंस खंड में सरकारी प्रतिभूतियों/कॉर्पोरेट बांडों, नकदी तथा एएए रेटिंग वाली विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को ऑफर करने के पात्र हैं।

V.17 विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति दी गई है कि वे शर्तों के अधीन, किसी खास तिथि को भारत में इक्विटी में संपूर्ण

निवेश और/ अथवा ऋण के बाजार मूल्य पर, अपने करेंसी जोखिम को हेज करने के लिए किसी श्रेणी I प्राथमिक व्यापारी से संपर्क कर सकते हैं। अपने किसी उप खाताधारी के मुद्रा जोखिम को हेज करने के इच्छुक एफआईआई को इस प्रयोजन के लिए उप खाताधारी से मैनडेट प्राप्त करना होगा। प्राधिकृत व्यापारियों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित उप खाता में रखी गई प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य की तुलना में संविदा की पात्रता के साथ इसका सत्यापन करें। इसके अलावा, यदि कोई एफआईआई इच्छा करता है कि वह अपने पास धारित उन प्रतिभूतियों के किसी हिस्से से संबंधित एक्सपोजर के लिए विदेशी मुद्रा हेज संविदा करे, जिन पर उसने पीएन / ओडीआई जारी किया है, तो उसे इस प्रयोजन के लिए पीएन / ओडीआई धारक से एक मैनडेट प्राप्त करना होगा।

V.18 यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय निक्षेपागार रसीद (आईडीआर) के लिए सीमित द्विमार्गीय प्रतिमोच्यता की अनुमति दी जाए, यह एडीआर / जीडीआर के लिए उपलब्ध सीमित द्विमार्गीय प्रतिमोच्यता सुविधा के समान है।

#### **विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत व्यक्तियों को उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा के लिए बनी समिति की रिपोर्ट**

V.19 2011-12 के वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा के अनुसरण में और फेमा के वर्तमान नियामक ढांचे के अंतर्गत निवासी / अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों जैसे व्यक्तियों के वास्तविक विदेशी मुद्रा लेन-देनों को आसान बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, रिजर्व बैंक ने एक समिति बनायी (अध्यक्ष: श्रीमती के.जे. उदेशी)। समिति में बाह्य विशेषज्ञ, चुनिंदा प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के प्रतिनिधि, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ और भारतीय बैंक संघ शामिल हैं।

V.20 समिति ने 31 सिफारिशों कीं और रिजर्व बैंक ने उनमें से 20 को कार्यान्वित किया है; आठ सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है तथा शेष को सरकार के साथ विचार-विमर्श करके लागू किया जा रहा है।

V.21 बैंक, सामान्य मार्जिन अपेक्षाओं के अधीन, अब बिना किसी उच्चतम सीमा के, जमाकर्ताओं अथवा तृतीय पक्षकारों की एनआर(ई) आरए और एफसीएनआर(बी) की जमाराशियों पर निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं (भारत में रुपया उधार तथा भारत / भारत के बाहर विदेशी मुद्रा उधार) प्रदान कर सकते हैं।

## बांग्लादेशी राष्ट्रीयता के व्यक्तियों द्वारा एनआरओ खाता खोला जाना

V.22 प्राधिकृत बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना, बांग्लादेशी राष्ट्रीयता के व्यक्तियों के लिए एनआरओ खाते खोलें।

## प्राधिकृत व्यापारियों की पोर्जीशन सीमा संबंधी दिशानिर्देशों को तर्कसंगत बनाना

*नूपल और एजीएल के बारे में दिशानिर्देश*

V.23 नए दिशानिर्देशों के अनुसार, निवल एक दिवसीय ओपेन पोर्जीशन सीमा (नूपल) बैंक के बोर्ड द्वारा निश्चित की जाए और तत्काल रिजर्व बैंक को सूचित की जाए। लेकिन, ऐसी सीमा बैंक की कुल पूंजी (टीयर I और टीयर II पूंजी) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

V.24 इसके अतिरिक्त, वर्तमान में, यह निर्णय लिया गया है कि मुद्राओं में से एक रुपये के मामले में, प्राधिकृत व्यापारियों की ओपेन पोर्जीशन सीमा पर लगे प्रतिबंधों (एक दिवसीय और अंतर्दिवसीय ओपेन पोर्जीशन - दोनों पर) को हटा लिया जाए।

V.25 तथापि, निम्नलिखित अनुदेश प्रभावी रहेंगे। शेयर बाजार की पोर्जीशन (फ्यूचर्स और ऑप्शंस - दोनों) को ओटीसी बाजार में ली गई पोर्जीशन से निवलीकृत / समंजित नहीं किया जा सकता है तथा इसके विपरीत स्थिति में इसके प्रतिकूल स्थिति होगी। शेयर बाजार में ली गई पोर्जीशन को केवल शेयर बाजार में ही परिसमाप्त / समाप्त किया जाएगा।

V.26 फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लेनदेन के लिए शेयर बाजार में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के ट्रेडिंग सदस्य के लिए पोर्जीशन सीमा 100 मिलियन अमरीकी डालर अथवा बकाया खुले ब्याज का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, होगी। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को अब सलाह दी गई है कि वे करेंसी फ्यूचर्स / एक्सचेंज ट्रेडिड ऑप्शंस बाजार में कोई स्वामित्व ट्रेडिंग न करें। करेंसी फ्यूचर्स बाजार में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा किए गए लेनदेन अनिवार्य रूप से उनके ग्राहकों की तरफ से होने चाहिए।

## विदेश (ऑफसोर) में एक्सपोजर

V.27 विदेश में कार्यरत बैंकों के लिए, विदेश में एक्सपोजर की गणना स्टैण्डएलोन आधार की जानी चाहिए और इसे देश (ऑनसोर) में उसके एक्सपोजर के साथ निवलीकृत नहीं किया जाना

चाहिए। सकल सीमा (देश और विदेश में) को निवल एक-दिवसीय ओपेन पोर्जीशन (नूप) का नाम दिया जाएगा और यह पूंजी प्रभार के अधीन होगी। ओपेन पोर्जीशन की गणना के लिए विदेशी शाखाओं के संचित अधिशेष की गणना किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

## सकल अंतराल सीमा ( एजीएल )

V.28 नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सकल अंतराल सीमा को संबंधित बैंकों के बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाए और तत्काल रिजर्व बैंक को सूचित किया जाए। लेकिन, ऐसी सीमा बैंक की कुल पूंजी (टीयर I और टीयर II पूंजी) के 6 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

V.29 उन प्राधिकृत व्यापारियों को, जिन्होंने विदेशी मुद्रा अंतराल जोखिम के सकलीकरण के लिए अवधि-वार पीवी01 सीमा और मूल्य जोखिम जैसे बड़े-बड़े उपाय किये हैं, सकल अंतराल सीमा के स्थान पर उनकी पूंजी, जोखिम वहन क्षमता, आदि पर आधारित अपनी-अपनी पीवी 01 और जोखिम मूल्य सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी गयी है और इसकी सूचना रिजर्व बैंक को दी जाएगी। इस सीमा की कार्यविधि और गणना को एक आंतरिक नीति के रूप में स्पष्ट रूप से प्रलेखीकृत किया जाना चाहिए और इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

V.30 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की जमानत पर, देश में लिये गये विदेशी मुद्रा ऋणों से होने वाले विनिमय दर जोखिमों से हेजिंग के लिए, लागत - कटौती ढांचा अपनाने की अनुमति दी गयी है।

V.31 चालू और पूंजी खाता लेन-देनों को हेज करने के लिए निवासियों द्वारा बुक की गई ऐसी वायदा संविदाओं, जिनमें रुपया मुद्राओं में से एक है, के निरस्तीकरण और पुनः बुक करने की सुविधा की अनुमति नहीं है।

V.32 तथापि, यदि एक वर्ष से अधिक अवधि के पूंजी खाता लेन-देनों को हेज करने के लिए निवासियों द्वारा बुक की गई वायदा संविदा को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ निरस्त किया जाता है, तो उन्हें दूसरे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ निम्नलिखित दशाओं के अधीन पुनः बुक किया जा सकता है:

- प्रस्ताव पर प्रतियोगी दरों के कारण स्विच आवश्यक है, उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ बैंकिंग संबंध समाप्त करना जिसके साथ संविदा मूल रूप से बुक की गयी थी;
- संविदा की परिपक्वता तिथि पर निरस्तीकरण और पुनः बुकिंग एक साथ की जाती है; और

iii) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि मूल संविदा निरस्त कर दी गयी है, उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक पर है जिसने संविदा की पुनः बुकिंग की है।

V.33 समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि निवासियों द्वारा किये गये सभी लेनदेनों को हेज करने के लिए, संविदाओं के रोलओवर के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ स्वच की शिथिलता प्रदान की जाए।

### मुद्रा अंतरण सेवा योजना - संशोधित दिशानिर्देश

V.34 रिजर्व बैंक द्वारा हाल में, आवश्यक केवाईसी / एएमएल/सीएफटी मानदंडों के साथ जारी किए गए मुद्रा अंतरण सेवा योजना संबंधी संशोधित दिशानिर्देश भारतीय एजेंटों को मुद्रा अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत कार्य करने में मदद करेंगे। इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि सुनिश्चित होगी तथा प्रेषण की लागत और समय, दोनों में कमी आएगी।

### विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता

V.35 ईईएफसी खाता धारकों को इस शर्त के अधीन अपने विदेशी मुद्रा अर्जनों का 100 प्रतिशत अपने पास रखने की अनुमति दी गयी है कि एक कैलेंडर माह के दौरान उनके खाते में उपचय के कुल जोड़ को अगले कैलेंडर माह के अंतिम दिन या पहले रूप में कनवर्ट किया जाए, अनुमोदित प्रयोजनों और वायदा प्रतिबद्धताओं के शेषों के उपयोग के समायोजन के पश्चात ऐसा किया जाए।

### निर्यातकों के लिए सेवाओं / सुविधाओं पर तकनीकी समिति

V.36 निर्यात क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए, विशेष रूप से वर्तमान परिदृश्य में, रिजर्व बैंक ने निर्यातकों के लिए सेवाओं / सुविधाओं पर एक तकनीकी समिति गठित की है (अध्यक्ष: श्री जी. पद्मनाभन)। समिति को संदर्भित विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं - निर्यात के लिए बैंक वित्त से संबंधित वर्तमान नीतियों / कार्यप्रणाली की समीक्षा करना और कार्यशील पूंजी, पूंजी व्यय के लिए सामायिक, पर्याप्त तथा बाधा रहित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने और क्षेत्र की अन्य अपेक्षाओं, विशेष रूप से एसएमई इकाइयों के लिए उपाय सुझाना। इसके अलावा, दस्तावेजीकरण, लेनदेन लागत / संक्रमण अवधि से संबंधित मामलों सहित वर्तमान कार्यप्रणाली को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए उपाय करना, खास तौर पर विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित निर्यात इकाइयों की विशिष्ट आवश्यकताओं की जांच करना भी समिति को संदर्भित विषयों का हिस्सा है।

V.37 समिति ने अप्रैल 2013 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं - (i) निर्यातकों को निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए स्वर्ण कार्ड योजना की समीक्षा करना; (ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के अंतर्गत निर्यात वित्त का समावेशन करना, जैसा उचित हो; (iii) निर्यातकों को निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए पूल आधार पर विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना; (iv) नॉन रिपोर्ट्स आधार पर फैक्ट्रिंग की अनुमति देना; (v) देशी प्रशुल्क क्षेत्र / विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों का वित्त पोषण करना; (vi) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण सीमा को मूल्यवर्गित करना; और (vii) हेजिंग प्रक्रिया को सरल बनाना।

### बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति

V.38 जिन कंपनियों की जांच चल रही हो, उनके मामले में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी सभी कंपनियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांचों / न्याय-निर्णयनों / अपीलों के विचाराधीन रहने के बावजूद और ऐसी जांचों / न्याय-निर्णयनों / अपीलों के परिणाम पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, चालू मानदंडों के अनुसार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, उन आवेदनों के मामले में जहां पर उधार लेने वाले कॉर्पोरेट ने विचाराधीन जांच / न्याय-निर्णयन / अपील के बारे में सूचित किया है, प्राधिकृत व्यापारी ऐसे प्रस्ताव अनुमोदित करते समय अनुमोदन-पत्र की एक प्रतिलिपि पृष्ठांकित करते हुए संबंधित एजेंसियों को सूचना दें। इसी प्रकार की कार्यप्रणाली रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय अपनायी जाएगी।

V.39 इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति दी गयी है कि वे अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत, घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिये गये बकाया रुपया ऋणों को चुकाने के लिए तथा / अथवा नये रुपया पूंजी व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधारों की समग्र सीमा 10 बिलियन अमरीकी डॉलर है। उधार लिये जाने वाले बाह्य वाणिज्यिक उधारों की अधिकतम सीमा, निकटतम पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जुटाए गये औसत विदेशी मुद्रा अर्जनों का 75 प्रतिशत अथवा निकटतम पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में जुटाए गये उच्चतम विदेशी मुद्रा अर्जनों का 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, है। अधिकतम बाह्य वाणिज्यिक उधार, जो इस योजना के अंतर्गत, कुल मिलाकर, किसी कॉर्पोरेट अथवा समूह द्वारा लिया जा सकते हैं, की सीमा 3 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

V.40 निगमन की तिथि से कम-से-कम एक वर्ष पूरा करने वाली विशेष प्रयोजन संस्थाओं को भी उक्त योजना की सीमा में लाया गया। उधार लिए जा सकने वाले ईसीबी की अधिकतम अनुमेय सीमा को, पिछले वित्त वर्ष के दौरान जुटाए गए वार्षिक निर्यात अर्जनों का 50 प्रतिशत रखा गया है।

V.41 इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों को, कतिपय शर्तों के अधीन, पूँजीगत माल आयात करने के लिए अधिकतम पांच वर्ष तक का व्यापार ऋण लेने की अनुमति दी गई है।

V.42 स्वचालित मार्ग के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों को, दीर्घावधिक ईसीबी के साथ पूँजीगत माल आयात करने के लिए पूरक वित्त के पुनर्विच्ययन ( यदि यह क्रेता/आपूर्तकर्ता का ऋण है) की अनुमति दी गई है।

V.43 यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं के रूप में, चाहे यह कोई भी भौगोलिक स्थान हो, भारतीय कंपनियों को होटल क्षेत्र में शामिल किया जाए (जिनकी कुल परियोजना लागत 250 करोड़ रुपये अथवा अधिक है)। प्राधिकृत व्यापारी रिजर्व बैंक को ईसीबी आवेदन भेजते समय परियोजना लागत की पुष्टि करें।

V.44 यह निर्णय लिया गया है कि स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एनबीएफसी- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के लिए, बकाया ईसीबी के साथ, ईसीबी सीमा को उनकी स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर उनकी स्वाधिकृत निधियों के 75 प्रतिशत तक कर दिया जाए। अपनी स्वाधिकृत निधियों के 75 प्रतिशत से अधिक की इच्छुक एनबीएफसी-इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों को रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और इसलिए इन्हें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत माना जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि करेंसी जोखिम की हेजिंग अपेक्षा को उनके एक्सपोजर के 100 प्रतिशत से घटाकर उनके एक्सपोजर के 75 प्रतिशत तक कर दिया जाए।

V.45 माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत उद्दिष्ट उपयोगों के लिए, एक वित्त वर्ष के दौरान 10 मिलियन डॉलर अथवा उसके बराबर ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई है। माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं / गैर सरकारी संगठनों के ईसीबी को पूरी तरह हेज किया जाएगा। गिरावट के समय निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यापारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उधारकर्ता का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पूरी तरह हेज किया गया है।

## विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों ( एफसीसीबी ) के लिए योजना

V.46 विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की वापसी-खरीद की कार्यप्रणाली को सरल बनाया गया है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की वापसी-खरीद को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत संवर्धित मूल्य पर 5 प्रतिशत की न्यूनतम छूट पर अनुमति दी गयी है। एफसीसीबी की वापसी-खरीद/पूर्व भुगतान, जो 31 मार्च 2013 को समाप्त हुई, 31 दिसंबर 2013 तक जारी रहेगी और इसके पश्चात् यह समाप्त हो जाएगी। यह उन मौजूदा उपायों के अलावा है जो स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के शोधन और अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के पुनर्गठन के लिए नये ईसीबी / विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की अनुमति देते हैं।

## कम लागत के किफायती आवास

V.47 कम लागत की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत, अनुमत अंतिम प्रयोग के रूप में, बाह्य वाणिज्यिक उधारों की अनुमति दी गयी है। ऐसा बाह्य वाणिज्यिक उधार कम लागत की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए विख्यात डेवलपर्स / बिल्डरों (न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव) द्वारा, 3 बिलियन रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि वाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा, और कम लागत की किफायती आवास इकाइयों के संभावित मालिकों के वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए इस प्रकार के बाह्य वाणिज्यिक उधार में प्रत्येक के लिए एक बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा निर्धारित की गयी है।

## 2जी स्पेक्ट्रम के लिए पूरक वित्त / दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार सुविधा

V.48 आगामी 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन के सफल बोलीकर्ता स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए सरकार को प्रारंभिक भुगतान करने हेतु पूरक वित्त का उपभोग कर सकते हैं और उसको दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ये दोनों स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आएंगे। जिन सफल बोलीकर्ताओं ने 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए देश में उधारदाताओं से लिये गये रुपया ऋण में प्रारंभिक भुगतान किया है, वे दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार लेकर स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, ऐसे रुपया ऋण के पुनर्विच्ययन के पात्र होंगे। 2जी नीलामी के सफल बोलीकर्ताओं को अपने अंतिम मूल कॉर्पोरेट से, इस शर्त के अधीन, बिना किसी अधिकतम ईसीबी देयता-ईक्विटी अनुपात के, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, ईसीबी का

उपभोग करने की अनुमति होगी कि उधारदाता, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उधारकर्ता कॉर्पोरेट में 25 प्रतिशत की न्यूनतम चुकता इक्विटी रखे।

#### भारत के लिए धन उगाहने और प्रत्यावर्तन करने की अवधि

V.49 माल अथवा सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य की राशि को भारत के लिए उगाहने और उसका प्रत्यावर्तन करने की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 12 महीने तक निर्यात तिथि से 31 मार्च 2013 तक किया गया था। इस मामले की समीक्षा की गयी है और सरकार के साथ विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि धन उगाहने की अवधि को, तत्काल प्रभाव से, निर्यात की तिथि से 12 महीने से घटाकर 9 महीने कर दिया जाए जो 30 सितंबर 2013 तक वैध होगी।

V.50 भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र / निर्यात संवर्धन क्षेत्र / 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई / देशी प्रशुल्क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे सॉफ्टवेयर निर्यातक, जिनका वार्षिक कारोबार कम-से-कम 10 बिलियन रुपये है या जो अखिल भारतीय आधार पर वर्ष भर में कम से कम 600 सॉफ्टवेक्स फॉर्म भरते हैं, 1 जनवरी 2013 से संशोधित फॉर्मेट में विवरण प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

#### निर्दिष्ट बैंकों / एजेंसियों द्वारा स्वर्ण का आयात

V.51 स्वर्ण के संबंध में बने कार्यदल ने (अध्यक्ष: श्री के.यू.बी. राव) स्वर्ण आयात विनियमों को शेष आयात के विनियमों के अनुरूप बनाने की सिफारिश की। निर्दिष्ट बैंकों द्वारा आयातित थोक सोना परेषण आधार पर होता है, जिसके लिए निर्दिष्ट बैंकों को इस स्टॉक के लिए निधि नहीं प्रदान करनी पड़ती है। घरेलू उपयोग के लिए सोने की मांग को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण आभूषण के निर्यातकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करते हुए बैंकों द्वारा परेषण आधार पर, सोने के आयात को सीमित किया जाए। तदनुसार, सरकारने पर देय प्रलेख के आधार पर सोने के आयात को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी वर्गों के अंतर्गत सोने के आयात के लिए निर्दिष्ट बैंकों / एजेंसियों द्वारा खोले जाने वाले सभी साख-पत्र केवल 100 प्रतिशत नकद मार्जिन आधार पर होंगे। इसके पश्चात 8 जुलाई को कुछ और उपाय किये गये जिनके द्वारा बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया कि वे करेंसी फ्यूचर्स / ऑप्शन बाजार में केवल अपने ग्राहकों की तरफ से ही लेनदेन करें। इसके पश्चात, 22 जुलाई को रिजर्व बैंक ने निर्दिष्ट बैंकों / निर्दिष्ट एजेंसियों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालकर सोने के

आयात को तर्कसंगत बनाया कि सोने के आयात के प्रत्येक समूह का कम-से-कम पांचवा हिस्सा निर्यात के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराया जाए।

#### उगाहे न गए निर्यात बिलों को ‘‘बट्टे खाते डालना’’

V.52 पूर्व में, निर्यातकों को बट्टे खाते डालने के सीमित अधिकार दिये गये थे, और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के बैंकों को अनुमति दी गयी थी कि वे, *अन्य बातों के साथ-साथ*, इस शर्त के अधीन निर्यातकों द्वारा किये गये ‘‘बट्टे खाते डालने’’ के अनुरोधों को स्वीकार करें कि निर्यातकों को उनके द्वारा लिए गए संबंधित पोतलदानों के निर्यात प्रोत्साहनों को आनुपातिक रूप से वापस करना होगा। कार्यप्रणाली को सरल और उदार बनाने के लिए तथा निर्यातकों और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए अनुदेशों की समीक्षा की गयी है और न उगाहे गए निर्यात बिलों को, कतिपय शर्तों के अधीन ‘‘बट्टे खाते डालने’’ की सीमाओं को नीचे लिखे तरीके से उदार बनाया गया है।

#### विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

V.53 भारतीय पक्षकारों द्वारा पाकिस्तान में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए 7 सितंबर 2012 से अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गयी है।

V.54 पहले, *नवरत्न* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और आइल इंडिया लिमिटेड को तेल क्षेत्र की विदेशी अनिगमित कंपनियों में (तेल और प्राकृतिक गैस आदि की खोज और खुदाई के लिए) निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसे अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बिना किसी सीमा के सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। समीक्षा करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि इस सुविधा को *नवरत्न* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और आइल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल क्षेत्र के गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के विदेशी निवेशों की सीमा तक (तेल और प्राकृतिक गैस आदि की खोज और खुदाई के लिए) बढ़ाया जाए और इसे स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

V.55 यह पाया गया गया है कि पात्र भारतीय पक्षकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वचालित मार्ग का उपयोग ऐसे ढांचे बनाने के लिए कर रहे हैं जो करेंसी, प्रतिभूति और पण्यों की ट्रेडिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने पाया कि ऐसे ढांचों ने भारतीय रुपए से संबद्ध वित्तीय उत्पादों को ऑफर करना शुरू



कर दिया है (अर्थात गैर-सुपुर्दगी योग्य ट्रेड जिसमें विदेशी मुद्रा, रुपया विनिमय दर, भारतीय बाजार से संबद्ध शेयर सूचकांक, आदि शामिल है)।

V.56 यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी किसी विदेशी कंपनी को, जिसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इक्विटी सहभागिता है, ऐसे उत्पादों को रिजर्व बैंक के विशेष अनुमोदन के बिना ऑफर नहीं करना चाहिए क्योंकि वर्तमान में रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है और ऐसे उत्पादों का देश के विदेशी मुद्रा प्रबंधन पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे उत्पाद के निर्गम को सुकर बनाने की किसी भी कोशिश को फेमा का उल्लंघन माना जाएगा और फेमा, 1999 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

### डेरिवेटिव बाजार

#### ऋण चूक स्वैप दिशानिर्देशों की समीक्षा

V.57 ऋण चूक स्वैप में सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए, वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है। कुछ उपाय किए गए हैं: (i) सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बांडों के अतिरिक्त, गैर-सूचीबद्ध लेकिन रेटेड कॉर्पोरेट बांडों में, साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को छोड़कर अन्य निर्गमों में भी, ऋण चूक स्वैप की अनुमति दी गयी है; (ii) प्रयोक्ताओं को अनुमति दी गयी है कि वे आपसी सहमति से अथवा फिम्मडा मूल्य पर मूल सुरक्षा विक्रेता के साथ अपनी ऋण चूक स्वैप क्रय पोजीशन को अनवाइंड करें। यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो फिम्मडा मूल्य पर मूल सुरक्षा विक्रेता के साथ अनवाइंड करना होगा; और (iii) वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर जैसी एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों तथा संदर्भ / सुपुर्दगी योग्य दायित्वों के रूप में एक वर्ष से कम मूल परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों पर ऋण चूक स्वैप की अनुमति दी गई है।

#### ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) संविदाओं का मानकीकरण

V.58 भविष्य में लेनदेन में सुधार के लिए और आईआरएस संविदाओं के केन्द्रीकृत समाशोधन और निपटान को आसान बनाने के लिए, आईआरएस संविदाओं को मानकीकृत किया गया है। न्यूनतम आनुमानिक मूल राशि, अवधि, लेनदेन के घंटों, निपटान गणनाओं, आदि में आईआरएस संविदाओं का मानकीकरण प्राप्त कर लिया गया है। शुरू में, रुपया मुंबई अंतर-बैंक प्रस्ताव दर (मिबोर)- एक दिवसीय सूचकांक स्वैप संविदाओं, जो सर्वाधिक तरल हैं, के लिए मानकीकरण अनिवार्य बनाया गया है। ग्राहक लेनदेनों को छोड़कर सभी आईआरएस संविदाओं के लिए मानकीकरण अपेक्षा आवश्यक है।

#### रिजर्व बैंक विकास और विनियमन के एजेडे को साथ-साथ रखकर कार्य कर रहा है

V.59 रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार के विकास और उसके विनियमन, दोनों को आगे बढ़ाने के लिए एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है। इस दृष्टिकोण के एक अंग के रूप में, बाजार की शक्तियों द्वारा कीमत-निर्धारण की बेहतर परिस्थितियों के लिए और वित्तीय बाजार की गहनता तथा व्यापकता, दोनों को बढ़ाने के लिए संरचनागत जड़ताओं को दूर किया जा रहा है। बाजार खंडों के बीच अंतर-संबद्धताओं को विकसित करने और मजबूत करने, प्रतियोगिता को बढ़ावा देने, उत्पादों और बाजार व्यवहारों में नवोन्मेष के माध्यम से मेन्यू विकल्प को बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं। बाजार क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित करने के लिए नियामक, वैधानिक, संस्थागत और प्रौद्योगिकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। विभिन्न बाजारों और स्थानों में स्पिलओवर की बढ़ती कृत्रिमता और संभावना के कारण, बाजार संबंधी विनियमनों को मजबूत करना महत्वपूर्ण हो गया है जिससे वित्तीय अस्थिरता के तुलन-पत्रात्मक प्रभावों को सीमित किया जा सके।